न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 77/2023

श्री रूपचन्द पुत्र श्रवणलाल ग्राम कायड, अजमेर पुलिस थना किश्चयनगंज अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी अजमेर – अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी प्रार्थी
2. श्री रूपचन्द अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:आदेश:–

दिनांक 18.04.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री रूपचंद्र पुत्र श्रवणलाल निवासी ग्राम कायड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 वास्ते वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 को सुपुर्दिगीनामे पर छोडने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पुलिस थाना कि.गंज जिला अजमेर ने जरिये अपराध अन्तर्गत धारा 4/6 भा.द.स के तहत प्रार्थी का वाहन R.J.01 TA 4823 को जब्त किया है। पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी के जब्तशुदा वाहन से सबंधित सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है एवं पुलिस को अब उक्त जब्तशुदा वाहन की कोई आवश्यकता नही है। उक्त वाहन प्रार्थी के रोजमर्रा के कार्य में आने वाला व कमा खाने वाला साधन है। उक्त वाहन के थाने में पडे रहने से खराब होने की संभावना है। प्रार्थी अपना वाहन सुपुर्दगी पर छुडवाना चाहता है व श्रीमान के आदेशो की पालना को तैयार है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के उपरोक्त जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीनामें पर छोडने के आदेश प्रदान करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को टिप्पणी हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर को लिखा गया । सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने टिप्पणी प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस कर निवेदन किया गया कि दिनांक 10.03.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर श्री विनय कुमार शर्मा मय जाच दल के श्री नरेश खान मैसर्स के.जी.एन. गैराज सर्विस, रावत होटल के पीछे जनाना हॉस्पिटल अजमेर पर पहुँचे । गैराज पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था । जांच मौके पर एक मारूति ओमनी वैन रंग सफेद रजिस्ट्रेशन संख्या R.J.01 TA 4823 खडी पाई

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

जिसके पीछे की तरफ डिग्गी में गैस किट में घरेलू गैस सिलेण्डर को एक इलेक्ट्रिक रिफिलिग मशीन से जोडकर गैस रिफिलिंग की जा रही थी। वक्त जांच मौके पर रिफिलिंग करते पाये गये श्री शेरू खान से जानकारी लेने पर बताया कि उसका नाम शेरू खान पुत्र कवरू खान निवासी फायसागर, काजीपुरा, अजमेर उम्र 22 वर्ष है। श्री शेरू खान को के.जी.एन. गैराज सर्विस पर वाहनो में गैस रिफिलिंग का कार्य प्रति सिलेण्डर 1300 रूपये की दर से करना पाया। वाहन मालिक द्वारा स्वयं सिलेण्डर लाने पर 100 रूपये गैस रिफिलिंग के लेना पाया । श्री शेरू खान द्वारा गैराज के मालिक का नाम श्री नरेश खान बताया। वक्त जांच मौके पर वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 (मारूति ओमनी वैन सफेद रंग) में बीपीसीएल के घरेलू सिलेण्डर जिसका एस.आर.नम्बर अपठित, टियर वेट 16.6 किग्रा कुल वनज 18.5 किग्रा है से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिये अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी तथा 12.3 एलपीजी सिलेण्डर से वाहन में गैस भरी जा चुकी थी। वक्त जांच मौके पर उपस्थित वाहन चालक श्री रूपचन्द निवासी, ग्राम कायड, वाया गगवाना, गेगल अजमेर ने वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 का स्वयं को मालिक होना बताया तथा वाहन की आर. सी. उसके नाम होना पाया तथा 1300 रूपये प्रति सिलेण्डर के हिसाब से के. जी.एन. मोटर गैराज के पीछे बने खुले परिसर में गैस भरवाना स्वीकार किया। जब्तशुद्वा वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 को पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज ए. एस.आई श्री कुम्भराम को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दी गई। इस प्रकार उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(क)(ख)(ग)(घ) क्लॉज 4(1)(क)(ग)(घ),6,7 (1)(क) (ख) के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डीनीय अपराध है अतः मारूति ओमनी वेन R.J.01 TA 4823 को आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश करे । जवाब में प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र 6 ए मुकदमें के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 10.03.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर श्री विनय कुमार शर्मा मय जाच दल के श्री नरेश खान मैसर्स के.जी.एन. गैराज सर्विस, रावत होटल के पीछे जनाना हॉस्पिटल अजमेर पर पहुँचे । गैराज पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था । जांच मौके पर एक मारूति ओमनी वैन रंग सफेद रजिस्ट्रेशन संख्या R.J.01 TA 4823 खडी पाई जिसके पीछे की तरफ डिग्गी में गैस किट में घरेलू गैस सिलेण्डर को एक इलेक्ट्रिक रिफिलिग मशीन से जोडकर गैस रिफिलिंग की जा रही थी। वक्त जांच मौके पर रिफिलिंग करते पाये गये श्री शेरू खान से जानकारी लेने पर बताया कि उसका नाम शेरू खान पुत्र कवरू खान निवासी फायसागर, काजीपुरा, अजमेर उम्र 22 वर्ष है। श्री

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

शेरू खान को के.जी.एन. गैराज सर्विस पर वाहनो में गैस रिफिलिंग का कार्य प्रति सिलेण्डर 1300 रूपये की दर से करना पाया। वाहन मालिक द्वारा स्वयं सिलेण्डर लाने पर 100 रूपये गैस रिफिलिंग के लेना पाया । श्री शेरू खान द्वारा गैराज के मालिक का नाम श्री नरेश खान बताया। वक्त जांच मौके पर वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 (मारूति ओमनी वैन सफेद रंग) में बीपीसीएल के घरेलू सिलेण्डर जिसका एस.आर.नम्बर अपठित, टियर वेट 16.6 किग्रा कुल वनज 18.5 किग्रा है से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिये अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी तथा 12.3 एलपीजी सिलेण्डर से वाहन में गैस भरी जा चुकी थी। वक्त जांच मौके पर उपस्थित वाहन चालक श्री रूपचन्द निवासी, ग्राम कायड, वाया गगवाना, गेगल अजमेर ने वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 का स्वयं को मालिक होना बताया तथा वाहन की आर.सी. उसके नाम होना पाया तथा 1300 रूपये प्रति सिलेण्डर के हिसाब से के.जी.एन. मोटर गैराज के पीछे बने खुले परिसर में गैस भरवाना स्वीकार किया। जब्तशुद्वा वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 को पुलिस थाना किश्चयनगंज ए.एस.आई श्री कुम्भराम को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दी गई। इस प्रकार उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(क)(ख)(ग)(घ) क्लॉज 4(1)(क)(ग)(घ),6,7 (1)(क) (ख) के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डीनीय अपराध है अप्रार्थी ने मारूति वैन को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त ा R.J.01 TA 4823 के लगी गैस किट में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप रूपये 10,000/–अक्षरे दस हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित वैन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.04.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर